निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 100) पटना, शुक्रवार, 5 फरवरी 2021

Je lalk/ku foHkkx

---

vf/klpuk

4 फरवरी 2021

,lŒvkŒ 77 fnukd 5 Qjojh 2021—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा–22(1) (f) के संदर्भ में धारा–22(h), भारत सरकार के निदेश तथा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016 के नियम–284 (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार योग्य निबंधित निर्माण कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के माध्यम से "आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" से आच्छादित करने का निम्नरूपेण प्रावधान करती है :–

1. इस योजना के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित निर्माण श्रमिकों (सदस्यों) एवं उनके परिवार के सदस्य, जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना (S.E.C.C.), 2011 से आच्छादित नहीं हैं, को चिकित्सा पर हुए वास्तविक खर्च का वहन बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
2. इस योजना का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों तथा राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) के अनुसार किया जाएगा।

यह बिहार राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

vkns'k :– आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी एक–एक प्रति प्रत्येक सदस्य तथा व्यक्ति को अग्रसारित किया जाय।

¼lŒ ch0lh0MCy0lh0&68@2019&73@J0l0½

fcgkj&jkT;iky ds vkns'k ls]

l;dkUr ef.k]

ljdkj ds mi lfpoA

4 फरवरी 2021

, lŒvkŒ 77 fnukad 5 Qjojh 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्य के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

¼lŒ ch0lh0MCy0lh0&68@2019&73@J0l0½
fcgkj&jkT;iky d vkns'k l]
l;dkUr ef.k]
ljdkj d mi lfpoA

The 4th February 2021

S.O. 77, dated 5th February 2021—In exercise of the power, conferred by Section 22(h) in context of 22(1)(f) of Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996 (27 of 1996), direction of Government of India and the rule 284 (A) of Bihar Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Rule-2016, the Government of Bihar makes following provision to cover the eligible registered construction workers and their family members under “Ayushman Bharat – Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojna” (AB-PMJAY) through State Health Authority :-

1. The Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board shall bear the actual cost of treatment of registered construction workers (Members) under Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board and their family members, those are not covered by Social, Economic and Caste Census (S.E.C.C.), 2011.
2. This scheme will be operated as per the directions of Ministry of Labour and Employment, Government of India and Memorandum of Understanding (MoU) between SHA and Bihar Building and Other Construction Workers Welfare Board

This will be effective from the date of its publication in Bihar Gazette.

(No. BCWC-68/2019-73/ LR)
By order of the Government of Bihar,
SURYAKANT MANI,
Deputy Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 100-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in